

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1266]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2014/ज्येष्ठ 23, 1936

No. 1266]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2014/JYAISTHA 23, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2014

का.आ. 1525(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 396 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अधीन संपूर्ण तेलंगाना राज्य की अधिकारिता में कंपनी रजिस्ट्रार के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए हैदराबाद की अधिकारिता क्षेत्र में कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय की स्थापना करती है और तेलंगाना राज्य में उक्त अधिनियम के अधीन कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए कंपनी रजिस्ट्रार के रूप में कंपनी रजिस्ट्रार, हैदराबाद को नियुक्त करती है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 7/4/2014-सीएल- I(ब)]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2014

S.O. 1525(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of Section 396 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby establish the office of the Registrar of Companies at Hyderabad having territorial jurisdiction in the whole State of Telengana for discharging the functions of the Registrar of Companies under the various provisions of the said Act and appoints the Registrar of Companies, Hyderabad as Registrar of Companies for the purpose of registration of companies under the said Act in the State of Telengana.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 7/4/2014-CL.I(B)] AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

2451 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.